

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट टोडाजयसिंहपुरा)

वाद संख्या :- 02 / 375 / 2015

रघुनाथ बनाम प्रभु वगैरा
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 26.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट टोडाजयसिंहपुरा पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 15.01.2009 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 181/0.15, 193/0.27, 195/0.05, 200/0.49, 194/0.03, 197/0.34, 198/0.20, 199/0.16 है। वाके ग्राम घाटडा तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 27.02.2009 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी से प्रार्थी का बेदखल न करें व कार्यकाशत प्रार्थी में किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत न करें तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थीगण उपस्थित न्यायालय आये व उनकी ओर से जवाब पेश किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2063-66 के अंकित इन्द्राज के अनुसार आराजी विवादित सिंचाई विभाग उपखण्ड दोसा की खातेदारी में दर्ज हो चुकी है इसलिए प्रार्थी आराजी विवादित का प्रथम दृष्टया खातेदार साबित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार योग्य है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 181/0.15, 193/0.27, 195/0.05, 200/0.49, 194/0.03, 197/0.34, 198/0.20, 199/0.16 है। वाके ग्राम घाटडा तहसील राजगढ अस्वीकार किया जाकर इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 15.01.2009 का प्रचलन निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 26.06.2018 कैम्प कोर्ट टोडाजयसिंहपुरा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट टोडाजयसिंहपुरा)